प्रेस नोट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर दिनांक 04.04.2024

कूटरचित दस्तावेजों द्वारा धोखाधड़ी करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना शाहपुर मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 170/2023 धारा 419,420,467,468,471,506 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त राजेश कुमार जायसवाल पुत्र स्व0 चण्डी प्रसाद निवासी म0 नं0 115 पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी मुकदमा के पति की मृत्यु दिनाक 28-1-1999 को हो गई थी जिसके बाद उनके चल अचल संपत्ति के वारिस उनके चार लड़के हुए। वादिनी का लड़का अभियुक्त राजेश कुमार व उसकी पत्नी अभियुक्ता सीमा द्वारा वादिनी के पति का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा कर उसमें मृत्यु का दिनाक 07-09-1996 दर्शा दिया तथा कूटरचित मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर आवेदिका का नाम परिवार रजिस्टर से कटवाने का प्रयास किया गया। अभियुक्त व अभियुक्ता द्वारा वादिनी मुकदमा को जमीन देने अथवा जमीन के एवज में एक करोड रूपया देने हेतु जान से मारने की धमकी दिया गया था। जिसके संबंध में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उपरोक्त अभियोग पंजीकृत अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता- राजेश कुमार जायसवाल पुत्र स्व0 चण्डी प्रसाद निवासी म0नं0 115 पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण- मु0अ0सं0 170/2023 धारा 419,420,467,468,471,506 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्र0नि0 जयन्त कुमार सिंह थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 दुर्गेश कुमार शुक्ला थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
3. प्र0उ0नि0 अंकित पटेल थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
4. प्र0उ0नि0अभिषेक कुमार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
5. म0प्र0उ0नि0 हर्षिता सिंह थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
6. म0का ममता यादव थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
7. म0का0 सुमन मौर्या थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर